

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/16

रीवा, दिनांक 12/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय अन्तर्गत **भौतिकशास्त्र** के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

भौतिकशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. रिक्त

28(2) दो

1. डॉ. अच्युत पाण्डेय
विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र विभाग,
शास. ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

2. डॉ. अरविन्द कुमार त्रिपाठी
विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र विभाग,
सं.गां.स्मू. शास. स्नातकोत्तरमहाविद्यालय, सीधी(म.प्र.)

28(2) तीन

1. रिक्त

28(2) चार

1. डॉ. आर.के. शर्मा
विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र विभाग,
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना(म.प्र.)

2. डॉ. राज किशोरतिवारी
विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र विभाग,
शास. माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

28(2) पाँच

1. डॉ. चन्द्रमणि तिवारी
सहायक प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र विभाग
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय रीवा(म.प्र.)

2. डॉ. मुक्ता त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र विभाग
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय रीवा(म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. अच्युतपाण्डेय को भौतिकशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)